**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3009**
**दिनांक 08 अगस्त, 2023 / 17 श्रावण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए**

**राज्य आपदा मोचन निधि**

**†3009. श्री नलीन कुमार कटीलः**
**श्री डी.के.सुरेशः**
**श्रीमती सुमलता अम्बरीशः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ़), राज्य सरकार के पास अधिसूचित आपदाओं से निपटने में तत्काल राहत प्रदान करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्राथमिक कोष है;**
**(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**
**(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य सरकार को आवंटित और जारी की गई एसडीआरएफ की कुल राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (ग): प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बचाव, राहत और पुनर्वास उपायों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार 12 अधिसूचित (सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामि, मूसलाधार बारिश, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का आक्रमण एवं पाला और शीत लहर) प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मद एवं मानदंडों के अनुसार पहले से उपलब्ध राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ़) से राहत उपाय सहायता प्रदान करती है । 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ़) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) की दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है ।

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत आवंटित एवं जारी की गई निधियों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है ।

*******

**लोक सभा अता. प्र. सं. 3009 दिनांक 08 .08.2023**

**अनुलग्नक**

**वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान एसडीआरएफ़ और एनडीआरएफ़ से आवंटित एवं जारी की गई राशि**

**(₹. करोड़ में)**

| क्रम सं. | राज्य | एसडीआरएफ़ के तहत केंद्र और राज्य के हिस्से सहित का आवंटन | | | एसडीआरएफ़ का केंद्र का हिस्सा जारी | | | एनडीआरएफ़ से जारी | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
| **1.** | आंध्र प्रदेश | 1192.80 | 1192.80 | 1252.80 | 895.20 | 895.20 | 940.00 | 657.029 | 351.43 | -- |
| **2.** | अरुणाचल प्रदेश | 222.40 | 222.40 | 233.60 | 200.00 | 200.00 | 210.40 | 59.34 | -- | -- |
| **3.** | असम | 686.40 | 686.40 | 720.80 | 617.60 | 617.60 | 648.80 | 44.37 | -- | 250.00 |
| **4.** | बिहार | 1510.40 | 1510.40 | 1586.40 | 1132.80 | 1132.80 | 1189.60 | 1255.27 | 1038.96 | -- |
| **5.** | छत्तीसगढ़ | 460.80 | 460.80 | 484.00 | 345.60 | 345.60 | 181.60 | -- | -- | -- |
| **6.** | गोवा | 12.00 | 12.00 | 12.80 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | -- | -- | -- |
| **7.** | गुजरात | 1412.00 | 1412.00 | 1482.40 | 1059.20 | 1059.20 | 556.00 | -- | 1000.00 | -- |
| **8.** | हरियाणा | 524.00 | 524.00 | 550.40 | 392.80 | 392.80 | 412.80 | -- | -- | -- |
| **9.** | हिमाचल प्रदेश | 363.20 | 363.20 | 380.80 | 327.20 | 327.20 | 342.40 | 2.90 | -- | 214.26 |
| **10.** | झारखंड | 605.60 | 605.60 | 635.20 | 454.40 | 454.40 | -- | -- | 200.00 | -- |
| **11.** | कर्नाटक | 843.20 | 843.20 | 885.60 | 632.80 | 632.80 | 664.00 | 689.27 | 1623.30 | 939.83 |
| **12.** | केरला | 335.20 | 335.20 | 352.00 | 251.20 | 251.20 | 264.00 | -- | -- | -- |
| **13.** | मध्य प्रदेश | 1941.60 | 1941.60 | 2038.40 | 1456.00 | 1456.00 | 1528.80 | 1891.79 | 600.50 | -- |
| **14.** | महाराष्ट्र | 3436.80 | 3436.80 | 3608.80 | 2577.60 | 2577.60 | 2706.40 | 420.12 | 1056.39 | -- |
| **15.** | मणिपुर | 37.60 | 37.60 | 39.20 | 33.60 | 33.60 | 35.20 | 26.53 | -- | -- |
| **16.** | मेघालय | 58.40 | 58.40 | 60.80 | 52.80 | 52.80 | 27.20 | 16.52 | -- | -- |
| **17.** | मिज़ोरम | 41.60 | 41.60 | 43.20 | 37.60 | 37.60 | 39.20 | -- | -- | -- |
| **18.** | नागालैंड | 36.80 | 36.80 | 38.40 | 32.80 | 32.80 | 34.40 | 1.335 | -- | 107.304 |
| **19.** | ओड़ीशा | 1711.20 | 1711.20 | 1796.80 | 1283.20 | 1283.20 | 1348.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| **20.** | पंजाब | 528.00 | 528.00 | 554.40 | 474.43 | 396.00 | 416.00 | -- | -- | -- |
| **21.** | राजस्थान | 1580.00 | 1580.00 | 1659.20 | 1184.80 | 1184.80 | 1244.80 | 68.65 | -- | 13.46 |
| **22.** | सिक्किम | 44.80 | 44.80 | 47.20 | 40.00 | 40.00 | 42.40 | 73.86 | 55.23 | -- |
| **23.** | तमिलनाडु | 1088.00 | 1088.00 | 1142.40 | 816.00 | 816.00 | 856.80 | 286.91 | 566.36 | -- |
| **24.** | तेलंगाना | 479.20 | 479.20 | 503.20 | 359.20 | 359.20 | 188.80 | -- | -- | -- |
| **25.** | त्रिपुरा | 60.80 | 60.80 | 63.20 | 54.40 | 54.40 | 56.80 | 12.93 | -- | -- |
| **26.** | उत्तर प्रदेश | 2062.40 | 2062.40 | 2165.60 | 1546.40 | 1546.40 | 812.00 | -- | -- | -- |
| **27.** | उत्तराखंड | 832.80 | 832.80 | 874.40 | 749.60 | 749.60 | 787.20 | -- | -- | -- |
| **28.** | पश्चिम बंगाल | 1078.40 | 1078.40 | 1132.80 | 808.80 | 808.80 | 849.60 | 2250.28 | 350.13 | -- |
| | कुल | **23,186.40** | **23,186.40** | **24,344.80** | **17,825.6** | **17,747.20** | **16,392.80** | **8,257.11** | **7,342.30** | **1524.854** |